363

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

जी0एस0आर0-प्र07 विविध-14/2013- 08 खाद्य, पटना/दिनांक- 31/1/2014

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 जो बिहार राज्य में 01 फरवरी, 2014 से लागू होने जा रहा है, के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यकरण को तथा ऐसी प्रणाली में, कृत्यकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय सतर्कता समितियों के गठन के संबंध में अधिनियम की धारा- 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अधीन किये गये सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश- 2001 में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित सतर्कता समितियों (Vigilance Committes) का गठन तुरंत के प्रभाव से ऐसे व्यक्तियों से मिलाकर करते हैं जो स्थानीय प्राधिकारियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और निराश्रित व्यक्तियों या निःशक्त व्यक्तियों का सम्यक प्रतिनिधित्व देते हुए राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायेंगे और तदनुसार पूर्व से अनुमंडल स्तर पर गठित अनुश्रवण समिति को छोड़कर शेष सभी निगरानी/अनुश्रवण समिति को निरसित करते हैं:-

(1) **राज्य स्तरीय सतर्कता समिति**

(i)	मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग-	अध्यक्ष
(ii)	राज्य स्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष तथा सभी सदस्य -	सदस्य
(iii)	मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग -	सदस्य
(iv)	मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग -	सदस्य
(v)	मंत्री, पंचायती राज विभाग -	सदस्य
(vi)	मंत्री, सहकारिता विभाग -	सदस्य
(vii)	मंत्री, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग -	सदस्य
(viii)	मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग -	सदस्य
(ix)	मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग -	सदस्य
(x)	मंत्री, समाज कल्याण विभाग -	सदस्य

(xi) सांसदगण - 05 (पाँच) (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत) - सदस्य

(xii) विधायक/विधान पार्षद- 10 (दस) (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत) - सदस्य

(xiii) प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग - सदस्य सचिव

(xiv) प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग - सदस्य

(xv) प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग - सदस्य

(xvi) प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग - सदस्य

(xvii) प्रधान सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग - सदस्य

(xviii) प्रधान सचिव/सचिव अनुसूचित जाति/जन जाति कल्याण विभाग - सदस्य

(xix) प्रधान सचिव/सचिव पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग - सदस्य

(xx) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत- 10 (दस प्रतिनिधि) जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, निःशक्त,अल्पसंख्यक एवं अतिपिछड़ा वर्ग का एक-एक सदस्य अवश्य हों । - सदस्य

(xxi) जन वितरण प्रणाली विक्रेता संगठन के- 02 (दो) प्रतिनिधि - सदस्य

(2) जिला स्तरीय सतर्कता समिति

(i) जिला के प्रभारी मंत्री - अध्यक्ष

(ii) जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष एवं सभी सदस्य - सदस्य

(iii) जिला परिषद् के अध्यक्ष - सदस्य

(iv) जिला पदाधिकारी - सदस्य सचिव

(v) पुलिस अधीक्षक - सदस्य

(vi) जिला आपूर्ति पदाधिकारी - सदस्य

(361)

(vii) जिला के सभी अनुमण्डल पदाधिकारी - सदस्य
(viii) जिला परिषद् के उपाध्यक्ष एवं सभी सदस्य - सदस्य
(ix) जिला अन्तर्गत सभी नगर निकाय के अध्यक्ष । - सदस्य
(x) जिला के सभी क्षेत्रीय विधायक, विधान पार्षद् तथा सांसद अथवा उनके द्वारा मनोनीत एक-एक प्रतिनिधि । - सदस्य
(xi) तेल कम्पनियों के प्रतिनिधि - सदस्य
(xii) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 01 (एक) निःशक्त व्यक्ति - सदस्य
(xiii) जन वितरण प्रणाली विक्रेता संगठन के 02 (दो) प्रतिनिधि । - सदस्य

(3) <u>प्रखंड स्तरीय सतर्कता समिति</u>

(i) प्रखंड कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष - अध्यक्ष
(ii) प्रखंड कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष एवं सभी सदस्य - सदस्य
(iii) प्रखंड विकास पदाधिकारी - सदस्य सचिव
(iv) प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी - सदस्य
(v) नगर परिषद्/नगर पंचायत के अध्यक्ष - सदस्य
(vi) प्रखंड के प्रमुख एवं उप प्रमुख तथा सभी पंचायत समिति के सदस्य - सदस्य
(vii) क्षेत्रीय विधायक एवं सांसद अथवा द्वारा उनके द्वारा मनोनीत एक-एक प्रतिनिधि - सदस्य
(viii) जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत 01 (एक) निःशक्त व्यक्ति - सदस्य
(viii) जन वितरण प्रणाली विक्रेता संगठन के 02 (दो) प्रतिनिधि । - सदस्य

(4) <u>शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय (जन वितरण प्रणाली विक्रेता) सतर्कता समिति</u>

(i) नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत के वार्ड पार्षद - संयोजक
(ii) वार्ड के निकटतम वोटो से पराजित वार्ड पार्षद का उम्मीदवार - सदस्य

(360)

(iii) जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत स्थानीय 01 (एक) प्रतिनिधि जो निःशक्त व्यक्ति हो - सदस्य

(5) **पंचायत स्तरीय (जन वितरण प्रणाली विक्रेता) सतर्कता समिति**

(i) पंचायत के मुखिया - संयोजक
(ii) पंचायत के सरपंच - सदस्य
(iii) पंचायत के निकटतम वोटो से पराजित मुखिया के उम्मीदवार - सदस्य
(iv) पंचायत के निकटतम वोटो से पराजित सरपंच के उम्मीदवार - सदस्य
(v) सभी वार्ड सदस्य - सदस्य
(vi) सभी पंच - सदस्य
(vii) जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत स्थानीय 01 (एक) प्रतिनिधि जो निःशक्त व्यक्ति हो - सदस्य
(viii) मुखिया की अनुपस्थिति में, पंचायत के उप मुखिया संयोजक के रूप में कार्य करेंगे । - सदस्य

(6) (क) **राज्य स्तरीय सतर्कता समिति के कार्य एवं दायित्व**

(i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण कराना,
(ii) इस अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के संबंध में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना,
(iii) किसी अनाचार या निधियों के दुर्विनियोग के संबंध में, जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना,
(iv) लक्षित जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत कार्यान्वित योजनाओं के सम्पूर्ण क्रियाकलापों एवं इसकी सुलभ क्रियाशीलता में आने वाली समस्याओं/बाधाओं की त्रैमासिक समीक्षा करना,
(v) समिति/इसके सदस्य, जन वितरण प्रणाली दुकान एवं विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यालयों का दौरा कर सकती है एवं योजना के लाभुकों से सम्पर्क कर सकती है । इस परिपेक्ष्य में समिति लक्षित जन वितरण प्रणाली योजना के सफल कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं और उसके निदान हेतु राज्य सरकार को अनुशंसा करेगी।
(vi) यदि किसी मुद्दे पर केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में निर्णय अपेक्षित हो तो राज्य स्तरीय सतर्कता समिति सुधारात्मक कार्रवाई के लिए केन्द्र सरकार को अनुशंसा कर सकती है ।

(359)

(vii) समिति की बैठक आयोजित करने का दायित्व समिति के अध्यक्ष (मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग) का होगा ।

(ख) जिला स्तरीय सतर्कता समिति के कार्य एवं दायित्व

(i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करना,

(ii) अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के संबंध में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करना,

(iii) किसी अनाचार या निधियों के दुर्विनियोग के संबंध में, जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना,

(iv) जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत वितरित होने वाली विभिन्न योजनाओं के खाद्यान्न एवं किरासन तेल के ससमय उठाव एवं वितरण की समीक्षा करना,

(v) राज्य खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के उठाव एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से लाभुकों के बीच इसके वितरण की समीक्षा करना तथा इसमें उत्पन्न कठिनाईयों की समीक्षा कर सरकार द्वारा निर्धारित नीति के तहत उस पर निर्णय लेना,

(vi) समिति की बैठक आयोजित करने का दायित्व समिति के अध्यक्ष का होगा ।

(ग) प्रखंड स्तरीय सतर्कता समिति के कार्य एवं दायित्व

(i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करना,

(ii) अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के संबंध में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना,

(iii) किसी अनाचार या निधियों के दुर्विनियोग के संबंध में, जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करना,

(iv) प्रखंड स्थित जन वितरण प्रणाली की दुकानों द्वारा उपभोक्ताओं के बीच वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न एवं किरासन तेल के उठाव एवं वितरण पर निगरानी रखना, खाद्यान्न एवं किरासन तेल सभी उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा एवं दर पर उपलब्ध कराना,

(v) समिति की बैठक आयोजित करने का दायित्व समिति के अध्यक्ष का होगा ।

(vi) उपर्युक्त व्यवस्था से संबंधित भविष्य में किसी प्रकार के मार्ग-निर्देश उपलब्ध कराने का दायित्व सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का होगा ।